राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2234/2016..........................जिला..अलवर...

उनवान – मैसर्स एपीक्यू एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0लि0., रोड नं.17, वी.के.आई ऐरिया, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, विशेष वृत तृतीय, सम्भाग प्रथम, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/10/2016		

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री मोती कोटवानी एवं विभाग की ओर से श्री आर.के.अजमेरा, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 26, 55 एवं 61 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार वर्ष 2010–11 की विवादित मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अधिनियम की धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

अ.सं.	कर नि. वर्ष	अपी.अधिकारी की अपील सं.	अपी. अधि. के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अ.अधि. द्वारा स्थगित राशि	कर बोर्ड के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि
1	2	3	4	5	6
2234/16	10–11	अलवर/स्थ/16	65,77,935	36,49,340	29,28,595

अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दि. 13.10.2016 से आंशिक स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। उन्होंने प्रकरण समयावधि के बाहर होने के कारण अविधिक बताया है। अपीलार्थी Fruit Drinks-Fruit Juice based drinks, in the brand name of "Appy Fizz" and "Grappo Fizz" का निर्माता एवं विक्रेता है। इस ड्रिंक (fruit drink) पर वैट शिडयूल चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 107 के अन्तर्गत कर देयता 5 प्रतिशत देय है, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त ड्रिंक को एरियेटेड वाटर मानते हुये दिनांक 8.3.2011 तक प्रविष्ठि सं.1 वैट शिड्यल–V के तहत सामान्य कर दर 14 प्रतिशत तथा 9.3.2011 से वैट शिड्यल–VI के तहत 15 प्रतिशत की दर से कर देयता मानी है। उन्होनें अपनी कम्पनी द्वारा निर्मित फ्रूट ड्रिंक को 5 प्रतिशत की कर देयता पर निर्धारित करने का निवेदन करते हुये तीन माह के लिये उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 6 में वर्णित राशि रूपये 29,28,595/– को स्थगित करने का निवेदन किया है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2016 अपील

20/10/16

लगातार.................2.

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्य 2234/2016..........................जिला...अलवर...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	-: 2 :-	
20/10/2016	संख्या 1370/2016/जयपुर मैसर्स वरूण ब्रेवरीज लि0 बनाम सीटीओ, निर्णय दिनांक 19.9.2016 अपील सं. 2008 से 2012/16 मै. रसना प्रा.लि. बनाम सहा.आयुक्त एंव निर्णय दि. 26.9.2016 अपील सं. 2083 से 2087/16 मै. हिन्दुस्तान कोका कोला बनाम सीटीओ को उद्धरित किया। उन्होनें यह भी तर्क दिया कि उनके विवादित उत्पाद में 10 प्रतिशत से अधिक Fruit Juice की मात्रा है, अतः भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं Ministry of Food Processing Industries द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उनका उत्पादित एवं बिक्रीत उत्पाद Fruit Drink है एवं तदनुसार अनुसूची–IV की प्रविष्टि संख्या 107 से आच्छादित है। उन्होनें यह भी तर्क दिया गया कि माननीय केरला उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.11.2014 असंशोधित प्रावधान जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची में वर्णित प्रविष्टि से सुभिन्न है, पर दिया गया है, जो यहां लागू होने योग्य नहीं है। अतः मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश दिनांक 13.10.2016 का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली की रोक पर प्रस्तुत अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया, अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी Fruit Drinks-Fruit Juice based drinks, in the brand name of "Appy Fizz" and "Grappo Fizz" का निर्माता एवं विक्रेता है। जो Fruit drinks है अथवा एरियेटेड वाटर है, इस पर आलौच्य अवधि में इस पर कर दर क्या है, यह तथ्य अन्तवर्लित है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन करने तथा विक्रीत वस्तु की प्रवृति को देखते हुए वसूली राशि पर रोक लगाना उचित समझते हैं, तदनुरूप अपीलार्थी के विरूद्ध कायम विवादित मांग राशि की वसूली कार्यवाही पर अपीलार्थी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत 15 दिवस में प्रस्तुत करने की शर्त पर रोक लगाई जाती है। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस प्रकरण में नियमित सुनवाई करते हुये इस आदेश की प्राप्ति के दो माह के भीतर अपील का गुणावगुण के आधार पर विधिक निष्पादन करना सुनिश्चित करें। अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। 20/10/16 — **सदस्य, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर** 20.10.2016 — **सदस्य, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर**	